श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती की तैयारी के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 11 दिसम्बर' 2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

1. गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव की तैयारी की समीक्षा के क्रम में विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्नवत निर्णय लिये गये :–

1.1 पटना घाट एवं पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों के संबंध में रेलवे बोर्ड के स्तर पर लंबित परियोजनाओं की प्राथमिकता पर मंजूरी के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुरोध पत्र भेजा जाय।

1.2 पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पटना घाट एवं पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर यात्री सूचना–सह–सहायता केन्द्र स्थापित करने की योजना मंजूर हुई है। उसके आलोक में रेलवे द्वारा जमीन उपलब्ध करायी जाय। कार्यान्वयन एजेंसी के संबंध में पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं रेलवे द्वारा समन्वय करके आवश्यक निर्णय लिया जाय।

1.3 अशोक राजपथ से पटना घाट रेलवे स्टेशन होते हुए गनेरिया घाट तक पथ निर्माण कार्य, पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाय।

1.4 गुरूद्वारा प्रबंधक समिति को पटना घाट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन लीज पर लेने की आवश्यकता हो तो वे राज्य सरकार के माध्यम से अनुरोध करें।

1.5 पटना सिटी से दानापुर तक रेलवे लाईन के ऊपर 6 फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग शीघ्र स्वीकृति कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

1.6 पोस्ट एवं टेलीग्राफ के प्रतिनिधि ने सहमति प्रदान की कि टेलीफोन एक्सचेंज एवं पोस्ट ऑफिस की चहारदीवारी के अंदर निर्माण कार्य कराया जाय और रोड का चौड़ीकरण किया जा सकता है। इसमें उनकी सहमति है।

1.7 गुरू का बाग का पहुँच पथ के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा 1.44 करोड़ रूपये (एक करोड़ चौवालीस लाख रूपये) की योजना की मंजूरी प्रदान की गयी है। पूर्व में इस योजना की स्वीकृति, नगर विकास एवं आवास विभाग

द्वारा भी प्रदान कर दी गयी है, जिसका कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा हो रहा है। तदनुसार इस राशि का समायोजन कर लिया जाय।

1.8 प्रेमचंद रंगशाला एवं शनिचरा स्थान के सैदपुर नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड का डी०पी०आर० पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाय।

2. <u>टेंट–सिटी की व्यवस्था</u> :–

2.1 टेंट–सिटी के लिए वैशाली जिले में 75 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गयी है, जिस पर गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की सहमति है। जिला पदाधिकारी, वैशाली जमीन गुरूद्वारा प्रबंधक समिति को उपलब्ध करा दें। यदि इस जमीन पर कोई अतिक्रमण हो तो उसे तत्काल हटाया जाय।

2.2 टेंट–सिटी में पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारी की जाय एवं राशि का बजटीय उपबंध करके, कार्यान्वयन ससमय पूर्ण कराया जाय।

2.3 ऊर्जा विभाग द्वारा टेंट–सिटी में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्य पूर्ण किया जाय।

2.4 टेंट–सिटी एवं सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए पटना नगर निगम, प्रभावकारी प्रबंधन सुनिश्चित करें। इस हेतु सुझाव दिया गया कि Outsourcing एजेंसी की सेवा ली जाय।

2.5 टेंट–सिटी में भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाय। इसके लिए पोटा केबिन संरचना बनाकर अस्पताल स्थापित किया जाय। इस हेतु अग्रिम योजना शीघ्र तैयार की जाय।

2.6 टेंट–सिटी में समुचित सुरक्षा हेतु एक अस्थायी थाने की भी व्यवस्था की जाय।

3. हाँडी साहिब गुरूद्वारा के पश्चिम पथ के अतिक्रमण को जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा शीघ्र हटवाया जाय।

4. पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा 44.00 करोड़ रूपये (चौवालीस करोड़ रूपये) की योजना "PRASAD" कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर हुई है। इसमें अनेकों ऐसे प्रावधान हैं, जो अन्य विभागों द्वारा भी किये जाना प्रस्तावित है। दोहरीकरण के संभावनाओं को समाप्त करने के लिए विकास आयुक्त के स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित कराया जाय। इस हेतु पर्यटन विभाग एक बैठक आयोजित कराएंगे। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाली बैठक में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि जो

संरचना विकसित हो रही है, उसके संधारण के लिए अभी से एजेंसी स्पष्टतः निर्धारित हो जाय।

5. मंगल तालाब अवस्थित मनोज कमालिया स्टेडियम का उपयोग, खेल के अलावा अन्य गतिविधियों हेतु करने के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अनुरोध पत्र दायर किया जाय।

6. इस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा सुगम करने के लिए लगभग 30 पथों का निर्माण, पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और 72 छोटे–छोटे कार्य पटना नगर निगम द्वारा संपादित किये जा रहे हैं। गुरूद्वारा प्रबंधक समिति को इसकी जानकारी दे दी गयी है। उनसे यह अनुरोध किया गया है कि यदि कोई और कार्य बचा हुआ हो तो उसके बारे में अवगत करा दें।

7. सभी संबंधित विभागों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव हेतु मात्र 01 वर्ष का समय शेष बचा है, इसलिए सभी विभाग सतत् अनुश्रवण करके, गुणवत्तायुक्त कार्य ससमय कराना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अंजनी कुमार सिंह),
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक 6125 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15.12.15
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 6125 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

15.12.15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6125 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/सचिव, पर्यटन विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मुख्य डाकपाल, पटना जी०पी०ओ०, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, BSNL, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रधान निदेशक, इंटेक/महासचिव, तख्य श्री हरमंदिर जी साहिब, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.15

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6125 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि :– संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.12.15

प्रधान सचिव